2016-R.F 124

संख्या - 11 /23016/ / नौ-9-16 -103आरएफ/11

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

एसएलएनए/निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषय- जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज एवं पेयजल की पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/1056/ 286(3)/2015, लखनऊ, दिनांक 30 अक्टूबर,2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में नया सवेरानगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज सहित ऋण के रूप में जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत नगर निगम,कानपुर की सीवरेज एवं पेयजल परियोजना हेतु निकाय अंश की धनराशि क्रमशः रू0 1332.30 लाख ,रू0 1722.53 लाख एवं रू0 1593.90 लाख कुल धनराशि रू0 4648.73 लाख (रूपये छियालिस करोड़ अड़तालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कियेजाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(यूआईजी कार्यान्श)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मूल लागत	परियोजना की लागत में वृद्धि की धनराशि	निकाय अंश
1	नगर निगम, कानपुर।	सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट-4 पार्ट-3	20736.00	4441.00	1332.30
2		पेयजलापूर्तियोजना (इनर ओल्ड एरिया)	27094.89	5313.00	1593.90
3		सीवरेज योजना पार्ट-1 (इनर ओल्ड एरिया)	19088.22	5742.00	1722.53
		योग			4648.73

((रूपये छियालिस करोड़ अड़तालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायगी। अतः कार्य प्रारम्भ् करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(2) आवंटित धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायगी तथा स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायगी।

(3) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डाइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ् कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) जिन कार्यो के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है,धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायगा तथा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु किश्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जायगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित किया जायगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्णगुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायगा।

(7) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भवित तिथी का उल्लेख किया जायगा।

(8) उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अत- शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुये प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक,स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायगा।

(10) वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मूख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद एवं निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0/शासन को दिनांक 31 मार्च,2016 तक उपलब्ध कराया जायगा।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 37 के अन्तर्गत नगर निगम,कानपुर के लिये स्वीकृत धनराशि रू0 46,48,73,000/-(रूपये छियालिस करोड़ अड़तालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र) का व्यय लेखाशीर्षक -"6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02 मल-जल तथा सफाई -191-नगर निगमों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या- ।। /2016/आरफ \25 / नौ-9-16-103आरफ/ 11,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. आयुक्त,कानपुर मण्डल।
3. जिलाधिकारी,कानपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
5. नगर आयुक्त,नगर निगम,कानपुर।
6. निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।

GORF-(14-15)

http://shasanadesh.up.nic.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-16/02/2016

प्रेषण संख्या:- 11

आवंटन आदेश संख्या:- 001-11-2016-RF124-9-9-16-103RF-11

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	464873000 464873000	464873000 464873000
	योग	वर्तमान प्रगामी	464873000 464873000	464873000 464873000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियालीस करोड़ अड़तालीस लाख तिहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियालीस करोड़ अड़तालीस लाख तिहत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी